

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

/स्वा०, राँची, दिनांक : 20/07/2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची को स्थापना व्यय मद में स्थापना व्यय के वहन हेतु कुल ₹ 4,97,52,39,000/- (चार अरब सनतानबे करोड़ बावन लाख उनचालीस हजार) सहायता अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची को संलग्न सारांश अनुसार स्थापना व्यय मद में स्थापना व्यय हेतु कुल ₹ 4,97,52,39,000/- (चार अरब सनतानबे करोड़ बावन लाख उनचालीस हजार) सहायता अनुदान की स्वीकृति निम्नवत प्रदान किया जाता है:-

क्रमांक	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उपशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	माँग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	105-एलोपैथी/06-राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान - सहायता अनुदान	₹ 4,97,52,39,000/- (चार अरब सनतानबे करोड़ बावन लाख उनचालीस हजार)

- सहायता अनुदान के व्यय का प्रतिवेदन उचित माध्यम से विधान-सभा के पटल पर रखा जाय।
- रिम्स, राँची के पत्रांक 720 दिनांक 22.04.2026 द्वारा GFR 12-A में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागीय पत्रांक- 30(7) दिनांक 11.05.2026 द्वारा महालेखाकार को प्रेषित किया जा चुका है।
- रिम्स, राँची के पत्रांक 720 दिनांक 24.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का अवशेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त है, जिसमें वेतन मद में ₹ 91,23,24,295/- (इक्यानबे करोड़ तेईस लाख चौबीस हजार दो सौ पंचानबे) तथा गैर वेतन में ₹ 44,79,22,614/- (चौवालीस करोड़ उनासी लाख बाईस हजार छः सौ चौदह) कुल ₹ 1,36,02,46,909/- (एक अरब छत्तीस करोड़ दो लाख छियालीस हजार नौ सौ नौ) अवशेष है।
- राशि की निकासी राँची कोषागार से की जाएगी तथा संस्थान के पी० एल० खाते के माध्यम से राशि का परिचालन किया जाएगा।
- वेतन मद में स्वीकृत राशि की निकासी मासिक आधार पर की जाएगी। निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561(वि०) दिनांक 17.04.98 एवं 1800(वि०) दिनांक 15.07.03 के आलोक में आवश्यकता अनुसार की जाएगी। राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

कृ०पृ०उ०

7. गैर व्यवसायिक भत्ता के भुगतान में विभागीय संकल्प सं०- 198(11) दिनांक 08.10.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. अस्पताल से संबंधित कार्यों में हुए व्यय एवं स्थापना व्यय का भुगतान विभागीय अधिसूचना सं०- 176(11) दिनांक 08.09.2014 के आलोक में चिकित्सा अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की स्वीकृति/अनुमोदन से ही किया जाएगा। उपर्युक्त भुगतान के लिए चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स, राँची पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
9. रिम्स, राँची के संचालन से संबंधित समस्त कार्य जैसे - मशीन, उपकरण एवं दवा का क्रय, कार्यालय से संबंधित व्यय, बाह्य स्रोत से कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान, रख - रखाव इत्यादि (निर्माण कार्य को छोड़कर) का व्यय गैर वेतन मद में प्राप्त राशि से नियमानुसार किया जायेगा।
10. निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
11. राशि के व्यय में राज्य सरकार के वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. यह आदेश माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
13. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गई राशि की विवरणी :-

क्रमांक	स्वीकृतादेश सं० एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	25(7)ब दि० 14.06.2024	₹ 4650000000	₹ 4,65,00,00,000
	कुल		₹ 4,65,00,00,000

14. रिम्स, राँची के भवन एवं क्वार्टरों के मरम्मत के कार्य का कार्यान्वयन राज्य सरकार के एजेन्सी/विभाग से ही कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

स्वीकृत राशि का सारांश

क्र०	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	20S22100510506000646	₹ 3725239000	
2	सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	20S22100510506000679	₹ 1250000000	रिम्स, राँची के संचालन से संबंधित समस्त कार्य जैसे - मशीन, उपकरण एवं दवा का क्रय, कार्यालय से संबंधित व्यय, बाह्य स्रोत से कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान, रख - रखाव इत्यादि (निर्माण कार्य को छोड़कर)
	कुल स्वीकृत राशि		₹ 4975239000	

कुल ₹ 4,97,52,39,000 /- (चार अरब सनतानबे करोड़ बावन लाख उनचालीस हजार)।

30(7)ब
20/07/2026

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

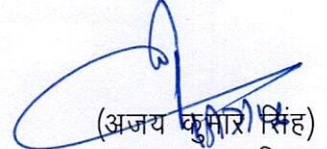
(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दाशईबुरु)
सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ०पृ०उ०

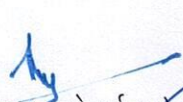
सं० सं०-7/स्थापना (व्यय) आवंटन- 31/2022 30(7) व /स्वा०, राँची, दिनांक- 20/07/2026
प्रतिलिपि : महालेखाकार, (ले० एवं हक) झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड/प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची/निदेशक, रिम्स, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

सं० सं०-7/स्थापना (व्यय) आवंटन- 31/2022 30(7) व /स्वा०, राँची, दिनांक- 20/07/2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(संदीप कुमार दोराईबुरु)
सरकार के अपर सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव